Shodhpith
International Multidisciplinary
Research Journal
(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)
(Multidisciplinary, Bimonthly, Multilanguage)
Volume: 2 Issue: 2 March-April 2026

# विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025: भारतीय उच्च शिक्षा शासन प्रणाली का एक वैचारिक एवं समालोचनात्मक विश्लेषण

**डॉ. बृजेश कुमार राय**

*सहायक आचार्य, दृष्टिबाधितार्थ विभाग, विशेष शिक्षा संकाय, डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ*

**डॉ. चेत नारायण पटेल**

*सहायक आचार्य, श्रवणबाधितार्थ विभाग, विशेष शिक्षा संकाय, डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ*

**Article Info**: *(Recieved- 10/02/2026, Accept- 15/3/2026, Published- 01/04/2026)*

**DOI-** 10.64127/Shodhpith.2026v2i2001

## सार

इक्कीसवीं सदी में उच्च शिक्षा प्रणालियाँ वैश्वीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, पारदर्शिता तथा नवाचार की बढ़ती अपेक्षाओं के कारण तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं। भारतीय उच्च शिक्षा शासन प्रणाली, यद्यपि विश्व की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है, फिर भी यह खंडित नियामक संरचना, गुणवत्ता में असमानता तथा सीमित संस्थागत स्वायत्तता जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। इस संदर्भ में भारत सरकार का नवीनतम "विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025" उच्च शिक्षा प्रणाली में एक व्यापक संरचनात्मक एवं वैचारिक परिवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है। यह विधेयक उच्च शिक्षा के नियमन, प्रत्यायन तथा मानकीकरण के कार्यों को पृथक संस्थागत निकायों नियामक परिषद, गुणवत्ता परिषद एवं मानक परिषद के माध्यम से संचालित करने का प्रावधान करता है, जिससे शासन प्रणाली में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं कार्य–कुशलता को सुदृढ़ किया जा सके। साथ ही, यह विधेयक परिणाम–आधारित शिक्षा, संस्थागत स्वायत्तता तथा बहुविषयक विकास को प्रोत्साहित करते हुए उच्च शिक्षा को अधिक लचीला एवं नवाचारी बनाने का प्रयास करता है। प्रस्तुत शोध–पत्र एक कॉन्सेप्चुअल अध्ययन है, जिसका उद्देश्य इस विधेयक के वैचारिक आधार, शासन संरचना तथा संभावित शैक्षिक एवं नीतिगत प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया है कि यह विधेयक पारंपरिक केंद्रीकृत एवं खंडित नियामक ढाँचे से हटकर एक समेकित, बहु–स्तरीय एवं कार्य–विभाजित शासन मॉडल की स्थापना का प्रयास करता है। हालाँकि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन में केंद्रीकरण की संभावना, संस्थागत तैयारी की कमी तथा नियमन और स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखने जैसी चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं। निष्कर्षतः, यदि इस विधेयक

को संतुलित एवं संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए, तो यह भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

**मुख्य शब्द**– उच्च शिक्षा, शासन प्रणाली, नियमन, स्वायत्तता, प्रत्यायन, नीति विश्लेषण।

## 1. प्रस्तावना

इक्कीसवीं सदी में ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था के उदय के साथ उच्च शिक्षा का महत्व अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया है। आज उच्च शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं रह गई है, बल्कि यह नवाचार, अनुसंधान, मानव संसाधन विकास तथा राष्ट्रीय प्रगति का प्रमुख आधार बन चुकी है (Altbach, 2016)। वैश्वीकरण और तकनीकी विकास के इस युग में देशों के बीच प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण मानदंड उनकी उच्च शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और प्रभावशीलता है। ऐसे परिदृश्य में भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक सशक्त, लचीली एवं गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रणाली का निर्माण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली, अपनी व्यापकता और विविधता के कारण विश्व की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, निजी संस्थानों तथा विभिन्न व्यावसायिक निकायों द्वारा संचालित संस्थानों का एक जटिल नेटवर्क सम्मिलित है। तथापि, इस विशाल संरचना के बावजूद, यह प्रणाली कई संरचनात्मक और प्रशासनिक समस्याओं से ग्रस्त रही है। विशेष रूप से, खंडित नियामक ढाँचा, विभिन्न नियामक संस्थाओं के अतिव्यापी कार्य, पारदर्शिता की कमी, गुणवत्ता में असमानता तथा सीमित संस्थागत स्वायत्तता जैसे मुद्दे लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं (Agarwal, 2009; NCERT, 2005)। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP–2020) भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी दस्तावेज़ के रूप में सामने आती है। यह नीति उच्च शिक्षा को अधिक समग्र, बहुविषयक, लचीला एवं शोध–आधारित बनाने का लक्ष्य निर्धारित करती है (Ministry of Education, 2020)। NEP–2020 विशेष रूप से यह प्रस्तावित करती है कि उच्च शिक्षा के लिए एक एकीकृत एवं हल्का लेकिन प्रभावी नियामक ढाँचा (light but tight regulatory framework) स्थापित किया जाए, जिसमें नियमन, प्रत्यायन और मानकीकरण के कार्य स्पष्ट रूप से पृथक हों। यह दृष्टिकोण शिक्षा में गुणवत्ता, पारदर्शिता और संस्थागत स्वायत्तता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसी नीति–दृष्टि के अनुरूप विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 एक महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार के रूप में उभरता है। यह विधेयक उच्च शिक्षा शासन प्रणाली को पुनर्संरचित करने का प्रस्ताव करता है, जिसका उद्देश्य संस्थानों को अधिक स्वायत्त, उत्तरदायी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है (Ministry of Education, 2025)। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय निकाय विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान की स्थापना का प्रावधान है, जो उच्च शिक्षा के समन्वय, दिशा–निर्देशन और गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विधेयक की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह उच्च शिक्षा शासन के तीन मूलभूत कार्यों नियमन, प्रत्यायन और मानकीकरण को पृथक संस्थागत निकायों के माध्यम से संचालित करने का प्रावधान करता है। यह त्रिस्तरीय संरचना न केवल कार्यों के स्पष्ट विभाजन को सुनिश्चित करती है, बल्कि हितों के टकराव को भी कम करती है तथा प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देती है (Ministry of Education, 2025)। इसके अतिरिक्त, विधेयक परिणाम–आधारित मूल्यांकन, संस्थागत स्वायत्तता तथा बहुविषयक शिक्षा को भी प्रोत्साहित करता है, जो NEP–2020 के प्रमुख उद्देश्यों के अनुरूप है। हालाँकि, इस प्रकार के व्यापक संरचनात्मक सुधारों के साथ अनेक चुनौतियाँ भी जुड़ी होती हैं। केंद्रीकरण की संभावनाएँ, संस्थागत क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता तथा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे मुद्दे इस विधेयक की सफलता को प्रभावित कर सकते हैं (Tilak, 2015)। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इस विधेयक का केवल वर्णनात्मक अध्ययन न किया जाए, बल्कि इसके वैचारिक आधार, संरचनात्मक परिवर्तन तथा संभावित प्रभावों का समालोचनात्मक विश्लेषण भी किया जाए।

इसी संदर्भ में प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 के माध्यम से प्रस्तावित उच्च शिक्षा शासन प्रणाली का वैचारिक एवं समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि यह विधेयक किस प्रकार भारतीय उच्च शिक्षा को पारंपरिक नियामक ढाँचे से हटाकर एक समेकित, उत्तरदायी एवं सृजनात्मक प्रणाली की ओर अग्रसर करता है, तथा इसके क्रियान्वयन में कौन–कौन सी संभावनाएँ और चुनौतियाँ निहित हैं।

## 2. अध्ययन में प्रयुक्त अवधारणाओं की परिभाषा

किसी भी कॉन्सेप्चुअल अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि उसके प्रमुख वैचारिक आधार स्पष्ट रूप से परिभाषित हों। प्रस्तुत शोध–पत्र में उच्च शिक्षा शासन, नियमन एवं स्वायत्तता तथा गुणवत्ता आश्वासन जैसे प्रमुख अवधारणाएँ केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। इन अवधारणाओं के माध्यम से विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 की संरचना और उसके निहितार्थों को समझा जा सकता है।

**2.1 उच्च शिक्षा शासन**– उच्च शिक्षा शासन से आशय उन नीतियों, संरचनाओं और प्रक्रियाओं से है, जिनके माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों का संचालन, नियमन और विकास किया जाता है। आधुनिक संदर्भ में शासन केवल प्रशासनिक नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और दक्षता जैसे तत्व भी शामिल होते हैं (Altbach, 2016)। Clark (1983) के अनुसार, उच्च शिक्षा शासन तीन प्रमुख शक्तियों राज्य, बाजार और शैक्षणिक समुदाय के परस्पर संबंधों पर आधारित होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक राज्य–प्रधान नियंत्रण रहा है, जिसके कारण संस्थागत स्वायत्तता सीमित रही है (Agarwal, 2009)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस स्थिति में परिवर्तन का सुझाव देते हुए एक "light but tight" नियामक ढाँचे की वकालत करती है, जिसमें शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, लचीली और उत्तरदायी।

**2.2 नियमन और स्वायत्तता**– उच्च शिक्षा में नियमन और स्वायत्तता के बीच संतुलन एक प्रमुख वैचारिक मुद्दा रहा है। नियमन का उद्देश्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना, मानकों को बनाए रखना और संस्थागत जवाबदेही स्थापित करना होता है। इसके विपरीत, स्वायत्तता संस्थानों को नवाचार, पाठ्यचर्या विकास और शोध गतिविधियों में स्वतंत्रता प्रदान करती है (Tilak, 2015)। अत्यधिक नियमन शिक्षा संस्थानों की सृजनात्मकता और नवाचार को बाधित कर सकता है, जबकि अत्यधिक स्वायत्तता गुणवत्ता में असमानता और जवाबदेही की कमी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए, एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें संस्थानों को स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किया जाए (Altbach, 2016)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 "ग्रेडेड स्वायत्तता" की अवधारणा प्रस्तुत करती है, जिसके अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

**2.3 गुणवत्ता आश्वासन और प्रत्यायन**– गुणवत्ता आश्वासन उच्च शिक्षा की विश्वसनीयता और प्रतिस्पध.र्ात्मकता का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसके अंतर्गत शिक्षा संस्थानों के शैक्षणिक स्तर, अनुसंधान गुणवत्ता और प्रशासनिक दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्यायन (Accreditation) इस प्रक्रिया का एक प्रमुख उपकरण है, जिसके माध्यम से संस्थानों की गुणवत्ता का मानकीकरण किया जाता है (Harvey & Green, 1993)। पारंपरिक रूप से भारतीय उच्च शिक्षा में गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली अपेक्षाकृत कमजोर और केंद्रीकृत रही है, जिससे पारदर्शिता और प्रभावशीलता में कमी देखी गई है (Agarwal, 2009) NEP–2020 इस स्थिति में सुधार हेतु एक स्वतंत्र एवं पारदर्शी प्रत्यायन प्रणाली की स्थापना का सुझाव देती है।

**2.4 मानकीकरण और अधिगम परिणाम**– उच्च शिक्षा में मानकीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी संस्थान न्यूनतम शैक्षणिक गुणवत्ता मानकों का पालन करें। यह प्रक्रिया पाठ्यचर्या, अधिगम परिणामों, मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षक–योग्यता जैसे पहलुओं को प्रभावित करती है (Biggs, 1996)। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इनपुट–आधारित दृष्टिकोण से हटकर आउटकम–आधारित शिक्षा पर अधिक बल दिया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को प्रमुखता दी जाती है (Spady, 1994)।

## 3. विधेयक का संक्षिप्त अवलोकन

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों को लागू करने हेतु एक व्यापक विधायी पहल है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण, अधिगम, अनुसंधान तथा नवाचार की गुणवत्ता को सुदृढ़ करना तथा उन्हें अधिक स्वायत्त, उत्तरदायी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है (Ministry of Education, 2025)। यह विधेयक उच्च शिक्षा के लिए एक समेकित और उत्त.रदायी शासन प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें विभिन्न कार्यों का स्पष्ट विभाजन और समन्वय सुनिश्चित किया गया है। विशेष रूप से, यह विधेयक नियमन, प्रत्यायन और मानकीकरण के कार्यों को अलग.–अलग संस्थागत निकायों के माध्यम से संचालित करने की अवधारणा को अपनाता है, जो पारंपरिक केंद्रीकृत

नियंत्रण प्रणाली से एक महत्वपूर्ण विचलन है।

**3.1 अधिष्ठान की स्थापना और उद्देश्य**– विधेयक के अंतर्गत एक केंद्रीय निकाय विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान की स्थापना का प्रावधान है, जो उच्च शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास हेतु रणनीतिक दिशा–निर्देशन और समन्वय का कार्य करेगा। यह निकाय उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता, बहुविषयक विकास, वैश्विक प्रतिस्पर्धा तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होगा। अधिष्ठान का एक महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न परिषदों के बीच समन्वय स्थापित करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक स्वायत्त और सक्षम बनाना है। यह उच्च शिक्षा को केवल प्रशासनिक दृष्टि से नहीं, बल्कि नीतिगत और वैचारिक स्तर पर भी दिशा प्रदान करता है।

**3.2 त्रिस्तरीय शासन संरचना**– इस विधेयक की सबसे प्रमुख विशेषता इसका त्रिस्तरीय शासन ढाँचा है, जिसमें तीन स्वतंत्र लेकिन परस्पर संबंधित परिषदों का गठन किया गया है–

**(क) नियामक परिषद (Regulatory Council)**– यह परिषद उच्च शिक्षा संस्थानों के नियमन, अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। यह संस्थानों को आवश्यक मानकों का पालन करने, वित्तीय एवं प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने तथा छात्रों के हितों की रक्षा करने हेतु निर्देश देती है।

**(ख) गुणवत्ता परिषद (Accreditation Council)**– यह परिषद प्रत्यायन और गुणवत्ता मूल्यांकन का कार्य करती है। यह परिणाम–आधारित मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से संस्थानों की गुणवत्ता का आकलन करती है तथा एक पारदर्शी प्रत्यायन तंत्र विकसित करती है ।

**(ग) मानक परिषद (Standards Council)**– यह परिषद उच्च शिक्षा के लिए शैक्षणिक मानकों, अधिगम परिणामों तथा पाठ्यचर्या ढाँचों का निर्धारण करती है। यह संस्थानों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करती है तथा शिक्षा को अधिक समरूप और परिणामोन्मुख बनाती है । यह त्रिस्तरीय संरचना शासन प्रणाली में कार्य विभाजन को स्पष्ट करती है, जिससे हितों के टकराव को कम किया जा सकता है और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होती है।

**3.3 स्वायत्तता और प्रत्यायन–आधारित प्रणाली**– विधेयक उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्यायन–आधारित स्वायत्तता प्रदान करने की अवधारणा को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत संस्थानों को उनकी गुणवत्ता और प्रदर्शन के आधार पर क्रमिक रूप से अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाती है। इससे उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को नवाचार, पाठ्यचर्या विकास और शोध गतिविधियों में अधिक स्वतंत्रता मिलती है, जबकि निम्न गुणवत्ता वाले संस्थानों को सुधार के लिए प्रेरित किया जाता है।

**3.4 पारदर्शिता और जवाबदेही**– विधेयक उच्च शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत संस्थानों को अपने शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों की जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र तथा दंडात्मक प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, जिससे संस्थानों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

**3.5 वैश्वीकरण और बहुविषयक शिक्षा**– विधेयक उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के संचालन तथा भारतीय संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय विस्तार को भी प्रोत्साहित करता है। साथ ही, यह बहुविषयक शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है, जो NEP–2020 के उद्देश्यों के अनुरूप है।

## 4. विधेयक का वैचारिक विश्लेषण

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 भारतीय उच्च शिक्षा शासन प्रणाली में केवल संरचनात्मक परिवर्तन ही नहीं, बल्कि एक गहन वैचारिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। यह परिवर्तन पारंपरिक केंद्रीकृत और नियंत्रण–आधारित मॉडल से हटकर एक समेकित, बहु–स्तरीय और परिणामोन्मुख शासन प्रणाली की ओर संकेत करता है। इस भाग में विधेयक के प्रमुख वैचारिक आयामों का विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है।

**4.1 खंडित से समेकित शासन प्रणाली की ओर**– भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली लंबे समय से विभिन्न नियामक निकायों के बीच विभाजित रही है, जिससे प्रशासनिक जटिलताएँ और समन्वय की कमी उत्पन्न हुई है (Agarwal, 2009)। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 इस समस्या का समाधान एक समेकित शासन मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जिसमें एक केंद्रीय अधिष्ठान विभिन्न परिषदों के बीच समन्वय स्थापित करता

है। Clark (1983) के अनुसार, एक प्रभावी उच्च शिक्षा प्रणाली में विभिन्न शक्तियों के बीच संतुलन आवश्यक होता है। यह विधेयक उसी दिशा में एक प्रयास है, जहाँ राज्य नियंत्रण को पूर्णतः समाप्त किए बिना उसे अधिक संग. ठित और उद्देश्यपूर्ण बनाया गया है। इस प्रकार, यह मॉडल उच्च शिक्षा शासन को अधिक सुसंगत, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण वैचारिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है।

**4.2 कार्य–विभाजन और हितों के टकराव में कमी**– विधेयक का एक केंद्रीय सिद्धांत है नियमन, प्रत्यायन और मानकीकरण के कार्यों का पृथक्करण। पारंपरिक प्रणाली में ये सभी कार्य प्रायः एक ही निकाय के अंतर्गत होते थे, जिससे हितों के टकराव की संभावना बढ़ जाती थी (Altbach, 2016)। विधेयक इस समस्या को हल करते हुए तीन स्वतंत्र परिषदों नियामक परिषद, गुणवत्ता परिषद एवं मानक परिषद की स्थापना करता है। यह संरचना कार्यात्मक विशेषज्ञता को बढ़ावा देती है, जिससे प्रत्येक निकाय अपने विशिष्ट कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। Harvey और Green (1993) के अनुसार, गुणवत्ता आश्वासन तभी प्रभावी हो सकता है जब मूल्यांकन और नियमन प्रक्रियाएँ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हों। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह विधेयक उच्च शिक्षा शासन में नैतिक पारदर्शिता और संस्थागत विश्वसनीयता को सुदृढ़ करता है।

**4.3 नियमन से सक्षमकारी शासन की ओर**– विधेयक एक महत्वपूर्ण वैचारिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है, जिसमें नियमन को नियंत्रण के साधन के बजाय सहायक रूप में परिभाषित किया गया है। यह NEP–2020 की "स हल्का लेकिन प्रभावी नियामक" की अवधारणा के अनुरूप है। नियामक परिषद का कार्य केवल नियम लागू करना नहीं, बल्कि संस्थानों को सुधार और विकास के लिए मार्गदर्शन देना भी है। इससे शासन प्रणाली अधिक सहयोगात्मक और विकासोन्मुख बनती है। Tilak (2015) के अनुसार, आधुनिक उच्च शिक्षा प्रणालियों में नियमन का उद्देश्य नियंत्रण नहीं, बल्कि गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करना होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से यह विधेयक नियमन को एक सक्षमकारी तंत्र के रूप में पुनर्परिभाषित करता है।

**4.4 स्वायत्तता और उत्तरदायित्व का संतुलन**– उच्च शिक्षा में स्वायत्तता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन स्थापित करना एक प्रमुख चुनौती है। यह विधेयक इस संतुलन को प्रत्यायन–आधारित स्वायत्तता के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास करता है। इस मॉडल के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाती है तथा निम्न गुणवत्ता वाले संस्थानों को सुधार के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार, विधेयक स्वायत्तता को बिना जवाबदेही के नहीं, बल्कि गुणवत्ता और पारदर्शिता से जुड़ी हुई शर्तों के साथ प्रदान करता है।

**4.5 परिणाम–आधारित शिक्षा प्रणाली**– विधेयक का एक अन्य महत्वपूर्ण वैचारिक आयाम है आउ. टकम–आधारित शिक्षा पर बल। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली इनपुट (जैसे संसाधन, शिक्षक संख्या आदि) पर केंद्रित थी, जबकि यह विधेयक शिक्षा के वास्तविक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। Spady (1994) के अनुसार, परिणाम–आधारित शिक्षा विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धियों को केंद्र में रखती है, जिससे शिक्षा अधिक प्रासंगिक और प्रभावी बनती है। विधेयक के अंतर्गत प्रत्यायन और मानकीकरण प्रक्रियाएँ भी इसी परिणामोन्मुख दृष्टिकोण पर आधारित हैं, जिससे शिक्षा प्रणाली अधिक उत्तरदायी और गुणवत्ता–केंद्रित बनती है।

**4.6 वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धात्मकता**– विधेयक भारतीय उच्च शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का भी प्रयास करता है। इसमें विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में संचालन की अनुमति तथा भारतीय संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय विस्तार के अवसर प्रदान करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। Altbach (2016) के अनुसार, वैश्वीकरण के युग में उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण अनिवार्य हो गया है। इस दृष्टिकोण से यह विधेयक भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

## 5. विधेयक का समालोचनात्मक विश्लेषण

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 भारतीय उच्च शिक्षा शासन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण संरचन. ात्मक और वैचारिक परिवर्तन का प्रस्ताव करता है। यद्यपि इसके कई सकारात्मक पक्ष हैं, तथापि इसके कार्यान्वयन, प्रभाव और संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और चुनौतियाँ भी सामने आती हैं। प्रस्तुत भाग में इन पहलुओं का समालोचनात्मक विश्लेषण किया गया है।

**5.1 केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण**– विधेयक एक समेकित शासन प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करता है, किंतु इसके अंतर्गत सभी प्रमुख निकायों नियामक परिषद, गुणवत्ता परिषद एवं मानक परिषद का नियंत्रण अंततः

केंद्रीय स्तर पर निहित है। यह स्थिति उच्च शिक्षा शासन में अत्यधिक केंद्रीकरण की आशंका उत्पन्न करती है। Clark (1983) के अनुसार, प्रभावी शिक्षा प्रणाली के लिए राज्य, बाजार और संस्थानों के बीच संतुलन आवश्यक है। यदि केंद्रीय नियंत्रण अत्यधिक बढ़ जाता है, तो संस्थागत नवाचार और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। अतः यह आवश्यक है कि शासन प्रणाली में विकेंद्रीकरण के तत्वों को भी पर्याप्त महत्व दिया जाए।

**5.2 स्वायत्तता की वास्तविकता**– विधेयक में संस्थानों को प्रत्यायन–आधारित स्वायत्तता प्रदान करने की बात की गई है, जो सिद्धांततः एक सकारात्मक पहल है। तथापि, व्यवहारिक स्तर पर यह प्रश्न उठता है कि क्या सभी संस्थान इस स्वायत्तता का प्रभावी उपयोग करने में सक्षम हैं। Agarwal (2009) के अनुसार, भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में क्षमता, संसाधन और प्रबंधन कौशल में व्यापक असमानता पाई जाती है। ऐसी स्थिति में स्वायत्तता केवल कुछ चुनिंदा संस्थानों तक सीमित रह सकती है, जिससे शिक्षा प्रणाली में असमानता बढ़ने की संभावना है।

**5.3 नियमन की जटिलता**– यद्यपि विधेयक नियमन, प्रत्यायन और मानकीकरण के कार्यों को अलग–अलग निकायों में विभाजित करता है, फिर भी इन निकायों के बीच समन्वय एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। Altbach (2016) के अनुसार, बहु–स्तरीय शासन प्रणालियों में समन्वय की कमी प्रशासनिक जटिलताओं को बढ़ा सकती है। यदि इन परिषदों के बीच स्पष्ट संचार और समन्वय तंत्र विकसित नहीं किया गया, तो यह प्रणाली पुनः जटिल और अप्रभावी हो सकती है।

**5.4 गुणवत्ता आश्वासन की विश्वसनीयता**– विधेयक में परिणाम–आधारित प्रत्यायन प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है, जो एक प्रगतिशील कदम है। तथापि, Harvey और Green (1993) के अनुसार, गुणवत्ता का मूल्यांकन एक बहुआयामी और संदर्भ–निर्भर प्रक्रिया है, जिसे केवल मापदंडों के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता। यदि प्रत्यायन प्रक्रिया अत्यधिक मानकीकृत हो जाती है, तो यह संस्थानों की विविधता और नवाचार क्षमता को सीमित कर सकती है। अतः गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली को लचीला और संदर्भ–संवेदनशील बनाना आवश्यक है।

**5.5 संसाधन और क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ**& किसी भी नीति की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 के सफल कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षित मानवबल और संस्थागत क्षमता आवश्यक है। Tilak (2015) के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय निवेश अपेक्षाकृत सीमित रहा है, जो नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा बन सकता है। विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के संस्थानों के लिए इस प्रकार के सुधारों को अपनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

**5.6 वैश्वीकरण और असमानता**– विधेयक वैश्विक प्रतिस्पर्धा और विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश को प्रो. त्साहित करता है । यद्यपि यह उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है, परंतु इससे सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ भी बढ़ सकती हैं। Altbach (2016) के अनुसार, वैश्वीकरण अक्सर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों को सीमित संस्थानों तक केंद्रित कर देता है, जिससे शिक्षा प्रणाली में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। अतः यह आवश्यक है कि नीति में समावेशिता को भी समान महत्व दिया जाए।

**5.7 नीति और व्यवहार के बीच अंतर**– विधेयक में प्रस्तुत आदर्श शासन मॉडल और वास्तविक कार्यान्वयन के बीच अंतर एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकता है। शिक्षा नीतियों के संदर्भ में अक्सर यह देखा गया है कि नीतिगत उद्देश्यों और व्यवहारिक परिणामों के बीच एक अंतर बना रहता है (Tilak, 2015)। यदि इस अंतर को कम करने के लिए ठोस रणनीतियाँ विकसित नहीं की गईं, तो विधेयक के उद्देश्यों की प्राप्ति सीमित रह सकती है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 एक प्रगतिशील लेकिन जटिल नीति हस्तक्षेप है। इसके प्रमुख सकारात्मक पक्ष हैं– शासन प्रणाली का पुनर्संरचन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व तथा गुणवत्ता और स्वायत्तता पर बल; वहीं इसकी प्रमुख चुनौतियाँ केंद्रीकरण की आशंका, क्रियान्वयन की जटिलता, संस्थागत असमानता एवं समन्वय की समस्याएँ हैं।

## 6. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 भारतीय उच्च शिक्षा शासन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण वैचारिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। यह विधेयक पारंपरिक खंडित एवं नियंत्रण–आधारित नियामक ढाँचे से हटकर एक समेकित, बहु–स्तरीय तथा

परिणामोन्मुख शासन मॉडल की स्थापना का प्रयास करता है, जो गुणवत्ता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस अध्ययन के वैचारिक विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि विधेयक उच्च शिक्षा शासन में कार्य–विभाजन, सक्षमकारी नियमन, प्रत्यायन–आधारित स्वायत्तता तथा परिणाम–आधारित शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण आयामों को सम्मिलित करता है। ये तत्व न केवल उच्च शिक्षा संस्थानों को अधिक लचीला और नवाचारी बनाते हैं, बल्कि उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार करते हैं। इस दृष्टिकोण से यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप एक संस्थागत ढाँचा प्रस्तुत करता है, जो भारतीय उच्च शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है। तथापि, समालोचनात्मक विश्लेषण यह भी इंगित करता है कि इस विधेयक की सफलता इसके प्रभावी और संतुलित क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। केंद्रीकरण की संभावनाएँ, संस्थागत असमानताएँ, संसाधनों की कमी तथा बहु–स्तरीय शासन में समन्वय संबंधी चुनौतियाँ इसके प्रमुख अवरोधक हो सकते हैं। विशेष रूप से, नियमन और स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करना इस विधेयक की सफलता का निर्णायक कारक होगा।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 भारतीय उच्च शिक्षा के लिए एक सशक्त वैचारिक ढाँचा प्रदान करता है, किंतु इसकी वास्तविक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे किस प्रकार संदर्भ–संवेदनशील, समावेशी एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाता है। यदि इसके प्रावधानों को समुचित संसाधनों, प्रशिक्षित मानवबल तथा संस्थागत समर्थन के साथ क्रियान्वित किया जाए, तो यह विधेयक भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक गुणवत्तापूर्ण, उत्तरदायी, नवाचारी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अंततः, यह विधेयक केवल एक नीतिगत दस्तावेज़ नहीं, बल्कि भारतीय उच्च शिक्षा के भविष्य को पुनर्परिभाषित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है, जो देश को "विकसित भारत" के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

## Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

## सन्दर्भ ग्रंथ सूची


1. Agarwal, P. (2009). Indian higher education: Envisioning the future. Sage Publications.
2. Altbach, P. G. (2016). Global perspectives on higher education. Johns Hopkins University Press.
3. Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher Education, 32(3), 347–364.
4. Clark, B. R. (1983). The higher education system: Academic organization in cross-national perspective. University of California Press.
5. Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining quality. Assessment & Evaluation in Higher Education, 18(1), 9–34.
6. Ministry of Education. (2020). National education policy 2020. Government of India.
7. Ministry of Education. (2025). The Viksit Bharat Shiksha Adhishtan Bill, 2025. Government of India.
8. National Council of Educational Research and Training. (2005). National curriculum framework 2005. NCERT.
9. Spady, W. G. (1994). Outcome-based education: Critical issues and answers. American Association of School Administrators.
10. Tilak, J. B. G. (2015). Higher education in India: In search of equality, quality and quantity. Journal of Educational Planning and Administration, 29(3), 221–234.


## Cite this Article-


***'डॉ. बृजेश कुमार राय, डॉ. चेत नारायण पटेल', 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025: भारतीय उच्च शिक्षा शासन प्रणाली का एक वैचारिक एवं समालोचनात्मक विश्लेषण'*** Shodhpith International Multidisciplinary Research Journal, ISSN: 3049-3331 (Online), Volume:2, Issue:02, March-April 2026



"Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY), allowing others to use, share, modify, and distribute it with proper credit to the author."